तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.9.18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादीया ने प्रार्थना पत्र O.L.R.10 व धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादिया ने प्रार्थना पत्र 212 R.T.A पर बहस करनी चाही। बहस सुनी गई. वादीया अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थीया को अस्थाई निषेधाज्ञा नही मिली तो अपूरणीय क्षति होगी.। मैने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो एवं प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस पर मनन किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. के तहत मूल वाद पत्र के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	